सोशल मीडिया सेल, जनपद बिजनौर **दिनाँक – 11.09.2026**

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा उ0नि0 विकास कुमार, थाना प्रभारी नगीना को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित किये जाने संबंधी।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 11.09.2026 को उ0नि0 श्री विकास कुमार, थाना प्रभारी नगीना को जनसुनवाई में लापरवाही बरते जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा उ0नि0 विकास कुमार, थाना प्रभारी नगीना को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है तथा वर्तमान में उनके स्थान पर निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार, प्रभारी जनसूचना सेल को प्रभारी निरीक्षक नगीना के पद पर तैनात किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा जनपद के सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा स्वेच्छाचारिता न बरतें। अन्यथा दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

प्रेस नोट जनपद बिजनौर **दिनांक 11.09.2026**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **09.01.2020** को वादी बोवी पुत्र सुक्खे सिंह निवासी गंज दारानगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त नन्हे उर्फ नरेन्द्र पुत्र छोटे सिंह निवासी गंज दारानगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा उसके पिता सुक्खे सिंह व चाचा प्रेम की हत्या कर दी गयी है। प्राप्त तहीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 13/2020 धारा 302 आईपीसी पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग में थाना कोतावाली शहर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 11.09.2026 को **माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश, जनपद बिजनौर** द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त **नन्हे उर्फ नरेन्द्र पुत्र छोटे सिंह निवासी गंज दारानगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर** को **आजीवन कारावास व कुल 20, 000/-** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

नन्हे उर्फ नरेन्द्र पुत्र छोटे सिंह निवासी गंज दारानगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना अफजलगढ   दिनांक 11.09.2026

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0स0 163/26 धारा 303(A),331(4) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को चोरी किये गये सामान सहित किया गया गिरफ्तार।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.06.2026 को वादी श्री दिलशाद पुत्र वजीर अहमद निवासी मौ0 नेजोसराय, कस्बा व थाना अफजलगढ़, जनपद बिजनौर की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी के घर की अलमारी से सोने के आभूषण (कुल वजन करीब 39.250 ग्राम), 55 सऊदी रियाल एवं ₹81,970 नगद चोरी किये जाने के संबंध में थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 163/2026 धारा 303(ए), 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 11.09.2026 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र शमीम निवासी मौ0 छत्ता नंगला, थाना थानाभवन, जनपद शामली को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 04 चूड़ी/कंगन (पीली धातु), 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु) एवं ₹5,700 नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- *अभियोग में अभियुक्त नौशाद पुत्र हफीज उर्फ टिम्मा एवं अभियुक्ता शहनाज पत्नी नौशाद को पूर्व में गिरफ्तार कर बरामदगी करते हुए जेल भेजा जा चुका है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र शमीम निवासी मौ0 छत्ता नंगला थाना थानाभवन जनपद शामली

बरामदगी का विवरण

04 चूडी/कंगन(पीली धातु) व 01 जोडी पायल (सफेद धातु) व 5700 रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम---

1.उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 430 कलीम हसन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3.का0 2502 विशाल थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः-थाना हल्दौर दिनांक-11.09.2026

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 234/2026 धारा 305(ए),331(3),317(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को चोरी किये गये मोबाईल फोन व नगदी सहित किया गया गिरफ्तार।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.09.2026 को वादिया श्रीमती शकुंतला पत्नी जयप्रकाश निवासी मिर्दगान, कस्बा झालू, थाना हल्दौर, जनपद बिजनौर द्वारा अज्ञात चोर के विरुद्ध कमरे का ताला तोड़कर संदूक से नाक की लौंग, एक जोड़ी चांदी की पाजेब व 5,500 रुपये चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 234/2026 धारा 305(ए), 331(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

दौराने विवेचना अभियुक्त ताराचन्द्र उर्फ दारा सिंह पुत्र सोमदत्त शर्मा निवासी ग्राम दारानगर, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 11.09.2026 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त ताराचन्द्र उर्फ दारा सिंह को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल फोन सैमसंग A03 रंग काला एवं 2,800 रुपये बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

ताराचन्द्र उर्फ दारा सिहं पुत्र सोमदत्त शर्मा नि ग्राम दारानगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 509/13 धारा 380,411,454 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 234/2026 धारा 305(ए),331(3),317(2) थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उपनिरीक्षक श्री रजत चौधरी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी 31 अमित कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी 506 देवेन्द्र कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी 2742 विक्रांत प्रताप सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना नूरपुर **दिनाँक-11.09.2026**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 320/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को चोरी की गयी भैंस सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 10.09.2026 को वादी श्री आशु दिवाकर पुत्र श्री नन्दू सिंह निवासी मौ0 रामनगर, कस्बा व थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी भैंस चोरी कर ली गई है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 320/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण एंव अभियुक्तगण की गिरफ्तारी टीम गठित की गयी।

दिनांक 10/11.09.2026 की रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि रामनगर से चोरी की गई भैंस को चोर स्योहारा रोड स्थित आर0आर0 पब्लिक स्कूल के पास लेकर खड़े हैं।

सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई, जहां से एक व्यक्ति को एक भैंस के साथ गिरफ्तार लिया गया, जबकि उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार गए व्यक्ति ने अपना नाम अमिश पुत्र अरविन्द्र वर्मा निवासी मौ0 शहीदनगर, कस्बा व थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर बताया।

पुछताछ का विवरण-

पुछताछ के दौरान अभियुक्त अमिश उपरोक्त ने बताया कि उसने व उसके साथी अभियुक्तों द्वारा उक्त भैंस को मौहल्ला रामनगर निवासी आशु दिवाकर के घर से चोरी किया था तथा चोरी के बाद भैंस को स्योहारा रोड स्थित आर0आर0 पब्लिक स्कूल के पास लाकर रखा गया था। अभियुक्त अमिश द्वारा घटना में अपने अन्य साथियों के सम्मिलित होने की जानकारी दी गई, जिनके नाम प्रकाश में आए हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

अमिश पुत्र अरविन्द्र वर्मा निवासी मौ0 शहीदनगर, कस्बा व थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

एक भैंस (कीमत लगभग एक लाख रुपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री यशवीर सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. हे.का. 570 अनिल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1045 पवन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4. का0 2558 अजय कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना स्योहारा **दिनाँक – 11.09.2026**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 350/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में 07 अभियुक्तगणो को पशु कटान के उपकरणो सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.09.2026 को वादी श्री मोहित जोशी पुत्र करनवीर सिंह निवासी मौ0 जोशियान, कस्बा व थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. फरियाद पुत्र इमामी, 2. शराफत पुत्र मुश्तकीम, 3. छोटू उर्फ सुहैल पुत्र राजू, 4. बाबू पुत्र कलवा, 5. नन्हे उर्फ इस्लामुद्दीन पुत्र मुश्तकीम, 6. अशरफ उर्फ चुन्नू पुत्र अकबर, 7. एहसान पुत्र गामा निवासीगण ग्राम सदाफल, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर द्वारा ग्राम सदाफल के जंगलो में गाय काटकर उसका मांस ले जाने तथा अवशेष वही पर डालने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 350/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान दिनांक 10.09.2026 को ग्राम सदाफल के जंगल से बरामद गौवंशीय अवशेषों के संबंध में उक्त सभी अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रकाश में आयी। बरामद गौवंशीय अवशेषों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है।

कार्यवाही-

दिनांक 11.09.2026 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. फरियाद पुत्र इमामी, 2. शराफत पुत्र मुश्तकीम, 3. छोटू उर्फ सुहैल पुत्र राजू, 4. बाबू पुत्र कलवा, 5. नन्हे उर्फ इस्लामुद्दीन पुत्र मुश्तकीम, 6. अशरफ उर्फ चुन्नू पुत्र अकबर, 7. एहसान पुत्र गामा निवासीगण ग्राम सदाफल, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार मे लिये गये अभियुक्त गण का नाम पताः-

1. फरियाद पुत्र इमामी नि0 ग्राम सदाफल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. शराफत पुत्र मुश्तकीम नि0 ग्राम सदाफल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3. छोटू उर्फ सुहैल पुत्र राजू नि0 ग्राम सदाफल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
4. बाबू पुत्र कलवा नि0 ग्राम सदाफल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
5. नन्हे उर्फ इस्लामुद्दीन पुत्र मुश्तकीम नि0 ग्राम सदाफल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
6. अशरफ उर्फ चुन्नू पुत्र अकबर नि0 ग्राम सदाफल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
7. एहसान पुत्र गामा नि0 ग्राम सदाफल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

अभियुक्त फरियाद उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 282/2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 350/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

पशु कटान के उपरकरण (एक अदद कुल्हाडी ,एक अदद चापड, तीन अदद छुरी, एक लकडी का गट्टा, दो रस्सी के टुकडे)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री उमेश चन्द थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

3.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

4.हे0का0 157 सरित सिह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

5.हे0का0 552 मनोज कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

6.का0 1058 अमित कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

7.का0 2921 परीक्षित लाम्बा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

8.का0 1666 कपिल कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना नूरपुर **दिनाँक-11.09.2026**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 319/2026 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल,चोरी गये तार से प्राप्त 2960 रुपये नगदी व करीब 02 किलो कॉपर के तार सहित गिरफ्तार किया गया ।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.09.2026 को वादी श्री राजवीर सिंह, सुपरवाइजर आर.सी.पी. कम्पनी, ग्राम मुराहट, थाना शिवाला कलाँ, जनपद बिजनौर द्वारा ग्राम पीपलाजीगर में लगे इन्डस कम्पनी के टावर के सेल्टर के पावर प्लांट से अज्ञात चोरों द्वारा करीब 15-20 मीटर केबल चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना नूरपुर पर तहरीर दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 319/2026 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही एवं साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त राहुल सैनी पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम मानपुरा, थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 11.09.2026 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त राहुल सैनी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से करीब 02 कि0ग्रा0 जला हुआ तांबे का तार, ₹2,960 नगदी एवं घटना में प्रयुक्त टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा घटना में एक अन्य साथी के शामिल होने की बात बतायी गयी है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

राहुल सैनी पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम मानपुरा थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी-

1.चोरी का करीब 02 कि0ग्रा0 तांबे का जला हुआ तार व 2960 रूपये

2.घटना मे प्रयुक्त एक मोटर साईकिल टीवीएस राईडर रंग काला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री रजत राणा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.हे0का0 556 मोहनस्वरूप सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3.का0 1893 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

4.का0 1118 मोहित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर